:: कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0) ::

दूरभाष नं.- 07856-252224, 252862(फैक्स)
E-mail : spdantewada@gmail.com

क्रमांक : पु.अ./दन्ते./स्था./(भर्ती-2021)/एम/2885-A /2021, दिनांक : 14 /10/2021

-:: विज्ञापन ::-

जिला दन्तेवाड़ा में बस्तर फाईटर आरक्षक के दर्शाये अनुसार पदों पर नियुक्ति के लिए आगे वर्णित कार्यक्रम के अनुसार भर्ती प्रकिया आयोजित की जा रही है। इस विज्ञापन द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक पुरूष/महिला उम्मीदवारों (जिले के मात्र स्थानीय निवासी) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

उपरोक्तानुसार इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र (नमूना संलग्न) में भरकर **कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दन्तेवाड़ा** में **कार्यालयीन समय** पर जमा कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 12.11.2021 के सायं 05.30 बजे** तक सीधे जमा किया जा सकता है। जो आवेदक अपना आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजना चाहते हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा तथा उसकी पावती की रसीद भर्ती हेतु निर्धारित दिनांक को अपने साथ लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिनांक 12.11.2021 के **सायं 05.30 बजे** तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाये। **इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य/मान्य नहीं किये जा सकेंगे।**

रिक्त पदों की संख्या निर्धारण :-

राज्य शासन एवं पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के तहत सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या (जाति वर्गवार)				योग	जहां आवेदन पत्र जमा होगा
	अनारक्षित	अपिव	अजा	अजजा		
दन्तेवाड़ा	18	42	12	228	300	कार्यालय पु.अधी. दन्तेवाड़ा

(भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।)

(क)- भूतपूर्व सैनिकों को शासन के निर्देशानुसार समस्तर (होरीजेन्टल) 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन किया जायेगा।

(ख)- स्वयंसेवी नगरसैनिकों को शासन के निर्देशानुसार समस्तर (होरीजेन्टल) 25 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जायेगा। केवल 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही नगर सैनिक कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी ।

(ग)- छ0ग0 शासन के आदेशानुसार महिलाओं को समस्तर (होरीजेन्टल) आरक्षण का लाभ दिया जावेगा । शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए समस्तर एवं प्रभागवार 30 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। विभाग, मंत्रीपरिषद के पूर्व अनुमोदन से, नियुक्ति हेतु इस सीमा को 10 कम किया जा सकता है ।

(घ)- सहायक आरक्षकों के लिए 15 प्रतिशत समस्तर आरक्षण लागू होगा।

Scanned with CamScanner

वेतनमान – शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान मेट्रिक्स अंतर्गत लेवल-4 तथा समय-समय पर देय भत्ते। (चयनित अभ्यर्थियों पर (वर्ष 2004 से प्रभावी) नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी)

पात्रता की शर्त :-

1- आवेदक को संबंधित जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
2- अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए ।
3- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जायेगा।
4- कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा/होगी। परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।
5- कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नही होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा की आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसा सेवा या पद के लिए उपयुक्त नही है।
6- कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नही होगाः

   परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जावेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।
7- कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नही होगा।

आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले सहपत्र :-

आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित निम्न दस्तावेज इस क्रम में संलग्न करेंगे :-

1. जन्मतिथि सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र 10+2 परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कक्षा 5वीं एवं नक्सल प्रभावित/शिविर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची अंकित जन्मतिथि भी मान्य होगी।)
2. जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. जाति संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति (छ0ग0 शासन के निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।)
5. अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
6. बोनस अंक दावा संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
7. सेना की सेवा अथवा होमगार्ड की सेवा संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
8. नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
9. दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ ।
10. अन्य कोई दस्तावेज (विवरण दिया जावे)

नोट :- सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न की जावे, साथ ही मूल प्रति भर्ती स्थल पर चेक/सत्यापन करते समय संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी ।

Scanned with CamScanner

निर्धारित आयु सीमा :-

(क)- सामान्य जाति के उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख)- यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिल की जावेगी।

(ग)- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ)- **उन अभ्यर्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयुसीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी :-**

(एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ।

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) यदि कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी परन्तु इसके परिणामस्वरुप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी" किये गये सरकारी कर्मचारी से द्योतक है - ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्ही भी संगठन इकाई की अस्थाई सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने के तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

(ड.) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरुप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई को सिफारिशों के फलस्वरूप, स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई है या जो अधिशिष्ट घोषित किया गया हो, अर्थात :-

(1)ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मास्टरिंग आउट कन्सेशन) की अधीन निर्मुक्त कर दिया गया है ।

(2)ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किये गये हो, और जिन्हें :-

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) भर्ती संबंधी शर्तो के पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ।

(3)मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी ।

(4)ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी पर सेवामुक्त किए गए हो ।

Scanned with CamScanner

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया हो ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी ।

(छ) शहीद राजीव पांडे पुरूस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरूस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।

(ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हों, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 36 वर्ष तक शिथिल की जायेगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगरसेना के नान-कमीशंड अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्ययीन रहते हुए शिथिल की जावेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी अर्थात उस नगर सैनिक/नान-कमीशंड अधिकारी, जिसने एक वर्ष की नगरसेना सेवा पूर्ण की हो, को अधिकतम एक वर्ष की, जिसने दो वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे दो वर्ष की एवं ऐसे ही आगे की पूर्ण सेवा वर्षों के बराबर की छूट दी जाएगी ।

टिप्पणी – उपर्युक्त नियम 8 के उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु सबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों जिनको चयन के लिए सम्मिलित किया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात या चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात इनकी सेवा या पद से छटनी की जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगें ।

(1) किसी भी अन्य मामले में आयुसीमा शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी ।

(2) शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरणों में अनुशासन, अयोग्यता अथवा चिकित्सा के आधार पर सेवा से हटाये गये सेवारत अथवा भूतपूर्व कर्मी इस सेवा के अयोग्य होंगे।

स्पटीकरण – शासन के मानदेय पर या संविदा पर कार्य करने वाले अन्य स्वयंसेवियों या कर्मियों या शिक्षाकर्मी या पंचायत कर्मी इत्यादि को आयु सीमा में छूट के संबंध में शासन के तत्समय प्रचलित नियम लागू होंगे।

Scanned with CamScanner

शैक्षणिक योग्यता :-

क- छत्तीसगढ़/ मध्यप्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण होना तथा **अनूसूचित जनजाति के उम्मीदवार 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगें ।**

ख- **प्रदेश में नक्सल पीड़ित परिवार तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के उम्मीदवार 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे ।**

ग- निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र संलग्न करने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी ।

(4) शारीरिक दक्षता :-

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य ही होनी चाहियेः-

(क) ऊंचाई - 163 से.मी. या उससे अधिक (अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)

150 से.मी. या उससे अधिक **(अनुसूचित जनजाति वर्ग की पुरूष अभ्यर्थियों के लिये)**

153 से.मी. या उससे अधिक (अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये)

148 से.मी. या उससे अधिक **(अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिये)**

(ख) सीना - बिना फुलाये 79 से.मी. (अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु 74 से.मी.) तथा फुलाने पर 84 से.मी. (अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु 79 से.मी.)
(सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 5 से.मी. सीना फुलाना अनिवार्य है)
(महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी ।)

नोट -

1. विशेष प्रकरणों में शारीरिक मापदण्ड (क) एवं (ख) के संबंध में छूट केवल पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा दी जा सकेगी ।
2. उंचाई एवं सीने की नापतौल में **चयन समिति** का निर्णय अंतिम होगा ।

(घ) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिये।

(ड) अभ्यर्थी में नॉक-नी, फ्लैट-फुट नहीं होना चाहिए। नॉक-नी एवं फ्लैट-फुट संबंधी अर्हतायें समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों को समक्ष अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगे। अभ्यर्थी को आंखो से संबंधित कोई रोग नही होना चाहिए। (आंखों की दृष्टि बिना चश्में के एक ऑख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिये)। मुख्य रंगो का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रकिया निम्नानुसार होगी -

(एक) आवेदन पत्रों की छानबीनः-

आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुये, समस्त निर्धारित अर्हताओं की पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को, प्रथम चरण के अंतर्गत चयन प्रकिया में भाग लेने की पात्रता होगी।

(दो) शारीरिक नापजोख परीक्षा :-

आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख **कण्डिका (4) के अनुसार** किया जायेगा तथा आगामी प्रकिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जायेगा । शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की जांच **दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 30.11.2021** तक संबंधित जिला मुख्यालय में किया जायेगा । सभी उम्मीदवारों को **दिनांक 22.11.2021** से शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की जांच हेतु परीक्षा स्थल पर **प्रातः 06.30 बजे** उपस्थित होना अनिवार्य है।

(तीन) शारीरिक प्रवीणता संबंधी कार्यकम :-

शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की जांच में योग्य पाये गये उम्मीदवारों का शारीरिक दक्षता परीक्षा **दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक** भर्ती स्थल संबंधित जिला मुख्यालय में लिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है, जो 100 अंकों का होगा, इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी :-

(अ) लंबी कूद - 20 अंक
(ब) ऊंची कूद - 20 अंक
(स) गोला फेंक - 20 अंक
(द) 100 मीटर दौड़ - 20 अंक
(इ) 3000 मीटर - 20 अंक

अनु क.	मद (आयटम) पुरूष अभ्यर्थी.	अंक	मद (आयटम) महिला अभ्यर्थी	अंक.	मद (आयटम) भूतपूर्व सैनिक	अंक.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-	**लम्बी कूद**	20	**लम्बी कूद**	20	**लम्बी कूद**	20
	03 मीटर 75 सेमी. से कम	00	02 मीटर 50 सेमी. से कम	00	03 मीटर 65 सेमी. से कम	00
	03 मीटर 75 सेमी. तक	7	02 मीटर 50 सेमी. तक	7	03 मीटर 65 सेमी. तक	7
	04 मीटर तक	11	02 मीटर 75 सेमी. तक	11	03 मीटर 90 से.मी. तक	11
	04 मीटर 50 सेमी. तक	14	03 मीटर 25 सेमी. तक	14	04 मीटर 40 सेमी. तक	14
	05 मीटर तक	17	03 मीटर 75 सेमी. तक	17	04 मीटर 90 सेमी. तक	17
	05 मीटर 50 सेमी. या अधिक.	20	04 मीटर 25 सेमी. या अधिक.	20	05 मीटर 40 सेमी. या अधिक.	20
2-	**ऊँची कूद**	20	**ऊँची कूद**	20	**ऊँची कूद**	20
	01 मीटर 30 सेमी. से कम	00	01 मीटर से कम	00	01 मीटर 05 सेमी. से कम	00
	01 मीटर 30 सेमी. तक	07	01 मीटर तक	07	01 मीटर 05 सेमी. तक	07
	01 मीटर 35 सेमी. तक	11	01 मीटर 05 सेमी. तक	11	01 मीटर 10 सेमी. तक,	11
	01 मीटर 40 सेमी. तक	14	01 मीटर 10 सेमी. तक	14	01 मीटर 15 सेमी. तक	14
	01 मीटर 45 सेमी. तक	17	01 मीटर 15 सेमी. तक	17	01 मीटर 20 सेमी. तक	17
	01 मीटर 50 सेमी. तक	20	01 मीटर 20 सेमी. तक	20	01 मीटर 25 सेमी. तक	20

Scanned with CamScanner

प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रकिया निम्नानुसार होगी -

(एक) आवेदन पत्रों की छानबीनः-

आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुये, समस्त निर्धारित अर्हताओं की पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को, प्रथम चरण के अंतर्गत चयन प्रकिया में भाग लेने की पात्रता होगी।

(दो) शारीरिक नापजोख परीक्षा :-

आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख **कण्डिका (4)** के अनुसार किया जायेगा तथा आगामी प्रकिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोख में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जायेगा । शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की जांच **दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 30.11.2021** तक संबंधित जिला मुख्यालय में किया जायेगा । सभी उम्मीदवारों को **दिनांक 22.11.2021** से शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की जांच हेतु परीक्षा स्थल पर **प्रातः 06.30 बजे** उपस्थित होना अनिवार्य है।

(तीन) शारीरिक प्रवीणता संबंधी कार्यकम :-

शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की जांच में योग्य पाये गये उम्मीदवारों का शारीरिक दक्षता परीक्षा **दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 30.11.2021 तक** भर्ती स्थल संबंधित जिला मुख्यालय में लिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है, जो 100 अंकों का होगा, इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी :-

(अ) लंबी कूद - 20 अंक
(ब) ऊंची कूद - 20 अंक
(स) गोला फेंक - 20 अंक
(द) 100 मीटर दौड़ - 20 अंक
(इ) 3000 मीटर - 20 अंक

अनु क.	मद (आयटम) पुरुष अभ्यर्थी.	अंक	मद (आयटम) महिला अभ्यर्थी	अंक.	मद (आयटम) भूतपूर्व सैनिक	अंक.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-	**लम्बी कूद**	20	**लम्बी कूद**	20	**लम्बी कूद**	20
	03 मीटर 75 सेमी. से कम	00	02 मीटर 50 सेमी. से कम	00	03 मीटर 65 सेमी. से कम	00
	03 मीटर 75 सेमी. तक	7	02 मीटर 50 सेमी. तक	7	03 मीटर 65 सेमी. तक	7
	04 मीटर तक	11	02 मीटर 75 सेमी. तक	11	03 मीटर 90 से.मी. तक	11
	04 मीटर 50 सेमी. तक	14	03 मीटर 25 सेमी. तक	14	04 मीटर 40 सेमी. तक	14
	05 मीटर तक	17	03 मीटर 75 सेमी. तक	17	04 मीटर 90 सेमी. तक	17
	05 मीटर 50 सेमी. या अधिक.	20	04 मीटर 25 सेमी. या अधिक.	20	05 मीटर 40 सेमी. या , अधिक.	20
2-	**ऊँची कूद**	20	**ऊँची कूद**	20	**ऊँची कूद**	20
	01 मीटर 30 सेमी. से कम	00	01 मीटर से कम	00	01 मीटर 05 सेमी. से कम	00
	01 मीटर 30 सेमी. तक	07	01 मीटर तक	07	01 मीटर 05 सेमी. तक	07
	01 मीटर 35 सेमी. तक	11	01 मीटर 05 सेमी. तक	11	01 मीटर 10 सेमी. तक	11
	01 मीटर 40 सेमी. तक	14	01 मीटर 10 सेमी. तक	14	01 मीटर 15 सेमी. तक	14
	01 मीटर 45 सेमी. तक	17	01 मीटर 15 सेमी. तक	17	01 मीटर 20 सेमी. तक	17
	01 मीटर 50 सेमी. तक	20	01 मीटर 20 सेमी. तक	20	01 मीटर 25 सेमी. तक	20

Scanned with CamScanner

3-	गोला फेंक ("वजन 16 पाउन्ड")	20	गोला फेंक ("वजन 08 पाउन्ड")	20	गोला फेंक ("वजन 16 पाउन्ड")	20
	05 मीटर से कम	00	04 मीटर से कम	00	05 मीटर से कम	00
	05 मीटर तक.	07	04 मीटर तक.	07	05 मीटर तक.	07
	06 मीटर तक.	11	05 मीटर तक.	11	06 मीटर तक.	11
	07 मीटर तक	14	06 मीटर तक.	14	07 मीटर तक	14
	08 मीटर तक	17	07 मीटर तक	17	08 मीटर तक	17
	09 मीटर या अधिक.	20	08 मीटर या अधिक	20	09 मीटर या अधिक.	20
4-	100 मीटर दौड़.	20	100 मीटर दौड़.	20	100 मीटर दौड़.	20
	12 सेकेण्ड या कम.	20	14 सेकेण्ड या कम.	20	14 सेकेण्ड या कम.	20
	14 सेकेण्ड तक.	14	16 सेकेण्ड तक.	14	16 सेकेण्ड तक.	14
	16 सेकेण्ड तक.	07	18 सेकेण्ड तक.	07	18 सेकेण्ड तक.	07
	16 सेकेण्ड से अधिक.	00	18 सेकेण्ड से अधिक.	00	18 सेकेण्ड से अधिक.	00
5-	दौड़ 3000 मीटर	20	दौड़ 3000 मीटर	20	दौड़ 3000 मीटर	20
	10 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	20	12 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	20	12 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	20
	10 मिनिट 45 सेकेण्ड तक	14	12 मिनिट 45 सेकेण्ड तक	14	12 मिनिट 45 सेकेण्ड तक	14
	11 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	07	13 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	07	13 मिनिट 15 सेकेण्ड तक	07
	11 मिनिट 15 सेकेण्ड से अधिक	00	13 मिनिट 15 सेकेण्ड से अधिक	00	13 मिनिट 15 सेकेण्ड से अधिक	00

टीप:- तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरूष उल्लेखित होने पर, पुरूष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं महिला उल्लेखित होने पर, महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

उपरोक्त सभी आयटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 100 अंकों में से 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आयटमों में भाग लेना अनिवार्य है। **अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।**

(चार) लिखित परीक्षा-

बस्तर फाईटर्स आरक्षक पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम के आधार पर गुणागुण सूची प्रवर्गवार तैयार की जायेगी तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाये। लिखित परीक्षा कुल 50 अंकों की होगा तथा इसकी अवधि 02:00 घण्टे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा कार्यक्रम संबंधित जिला मुख्यालय में चयन समिति द्वारा **दिनांक 12.12.2021 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों** में आयोजित की जायेगी।

नोट :-लिखित परीक्षा में परीक्षा भवन में मोबाईल फोन, केलकुलेटर इत्यादि लेकर जाना वर्जित होगा।

topsocialadda.in search

Scanned with CamScanner

सीधी भर्ती के लिये फाईटर आरक्षक के पद हेतु अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं बोनस में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। नियुक्ति, पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुये गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) से की जाएगी।

एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्मतिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा। यदि जन्मतिथि एवं प्राप्तांक समान हो तो आवेदन पत्र पंजीयन कमांक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची की वैद्यता, चयन सूची के जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये होगी।

परिवीक्षा/परीक्षण :-

प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के संबंध में उसका चरित्र सत्यापन किया जायेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अनुकूल पाये जाने पर सफल अभ्यर्थी, जिनका नाम चयन सूची (मेरिट लिस्ट) में आया है, को शासन के नियमानुसार तीन वर्ष परिवीक्षा नियुक्ति किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी, चरित्र सत्यापन प्रारूप में कोई जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा से अयोग्य ठहराया जायेगा और उसे नियुक्ति नही दी जायेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद प्रकट होता है तो उसे बिना कोई नोटिस दिये सेवा से पृथक किया जा सकेगा। चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल होने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नही होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम, चयन सूची से हटा दिया जाएगा।

यदि कोई अभ्यर्थी जिसे परिवीक्षा पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया हो, दिये गये दिनांक तक, निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित नही होता तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम नियमानुसार चयन सूची से हटाया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी यह आदेश जारी कर सकेगा कि वह उस अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करे, जिसका नाम गुणागुण सूची में ठीक नीचे दिये गया है तथा जिसे ऐसे प्रस्ताव के लिये अन्यथा उपयुक्त पाया गया-

सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;
द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;
तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;

अभ्यर्थियों को इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण में "मेडिकली फिट" (Medically fit) होना भी अनिवार्य होगा। इस हेतु मेडिकल परीक्षण भी कराया जायेगा ।

निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात किया जायेगा। निर्धारित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय-समय पर यथा निर्धारित मापदण्डों द्वारा प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की स्थिति में प्रशिक्षण कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे सेवा से मुक्त भी किया जा सकेगा।

नोट :- अभ्यर्थियों को भर्ती प्रकिया में शामिल होने के दौरान वर्तमान में कोरोना (COVID-19) **महामारी संक्रमण को ध्यान में रखते हुये दस्तावेज जांच, शारीरिक नापतौल, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शासन/प्रशासन द्वारा जारी निर्देशानुसार मास्क एवं सेनेटाईजर लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे।**

Abhi
पुलिस अधीक्षक,
दन्तेवाड़ा

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र का नमूना

:: आवेदक इसे अपने स्वच्छ/स्पष्ट अक्षरों में स्वयं भरेंगे ::

यहाँ पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
जिला ....

1- आवेदित पद का नाम :-...

2- आवेदक का नाम :-...

अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में :-...

3- पिता का नाम :-...

4- जन्मतिथि अंकों में :-...

शब्दों में :-...

01.01.2021 को आयु ------ वर्ष ----- माह -------- दिन

5- पहचान चिन्ह :- --

6- शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा का नाम/उत्तीर्ण कक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक
कक्षा पाँचवी उत्तीर्ण			
कक्षा आठवीं उत्तीर्ण			
कक्षा दसवीं उत्तीर्ण			
कक्षा 12वीं उत्तीर्ण			

7- वर्तमान पत्र व्यवहार का पता : --

8- स्थायी पता : --

9- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :-

पंजीयन क्रमांक --

पंजीयन दिनांक --

वैधता दिनांक --

10- क्या आप शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ग-अपिव/अजा/अजजा के सदस्य हैं? :- हॉ/नहीं
यदि हॉ तो वर्ग :-------

11- क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? :- हॉ/नहीं
यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।

12- क्या आप होमगार्ड के सैनिक हैं/रह चुके हैं? :- हॉ/नहीं

सेवा अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

13- क्या आपने किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है? :- हॉ/नहीं

Scanned with CamScanner

14- क्या आप शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा छ0ग0 राज्य/निगम/मण्डल के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी हैं? हॉं तो उसका पूरा विवरण लिखें तथा अपने विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। :- हॉं/नहीं

15- क्या आप कभी शासकीय सेवा के लिए मेडिकल बोर्ड/मेडिकल प्राधिकारी द्वारा अयोग्य ठहराये गये हैं? :- हॉं/नहीं

16- क्या आप किसी अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किये गये हैं, क्या आप पर अभियोजन चलाया गया है? यदि हुए हैं जुर्माना हुआ है या आप किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गये हैं तो पूर्ण विवरण दिया जावे साथ ही अपराध क्रमांक/धारा/थाना एवं जिला सहित पूर्ण विवरण दर्शायें। :- हॉं/नहीं

17- क्या आप पर वर्तमान में किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? विवरण देवें। :- हॉं/नहीं

18- आवेदक विवाहित है या अविवाहित है। यदि विवाहित है तो संतानों का विवरण देवें। :- हॉं/नहीं

यदि हां, नो विवाह की तिथि --------------

1- संतान कुल संख्या :- ---------------

2- अंतिम संतान की जन्मतिथि :- ---------------

घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जहॉं तक मुझे पता है और जहॉं तक मेरा विश्वास है सही है और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को मुझे बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवा समाप्ति का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बन्धनकारी होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम-

दिनांक-

संलग्न-

1- -------------------------

2- -------------------------

3- -------------------------

4- -------------------------

Scanned with CamScanner